(ख) यदि हां, तो इसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार राज्यों द्वारा तय किए गए इन विभिन्न मापदंडों और दरों में विसंगतियों को दूर करने की दृष्टि से देश भर में उपर्युक्त श्रेणियों के लोगों के लिए एक समान दरों और एक समान नियमों के आधार पर केन्द्रीय बजट से पेंशन प्रदान करने पर विचार करेगी;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसा कब तक किए जाने की सम्भावना है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया): (क) और (ख) राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) से (ङ) केन्द्र सरकार ने 1995 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम शुरू किया है जिसका एक घटक राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना है, जिसके अंतर्गत 65 वर्ष तथा उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों और जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, को 75 रुपए प्रति माह की दर पर वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जाएगी। यह योजना राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। अधिक वित्तीय कठिनाइयों के कारण देश में विकलांग व्यक्तियों तथा विधवाओं को केन्द्रीय बजट में से पेंशन प्रदान करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

धूम्रपान विरोधी अभियान

176. **श्रीमती मालती शर्मा:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 मई, 1996 के "नवभारत टाइम्स" में हर दस सेकेंड में एक व्यक्ति तम्बाकू का शिकार होता है शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने धूम्रपान विरोधी अभियान को और तेज करने के लिए कोई कारगर योजना बनाई है, और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) स्वास्थ्य मंत्रालय का तम्बाकू से संबंधित विज्ञापनों पर प्रतिबन्ध के प्रावधान के साथ-साथ सार्वजनिक स्थानों में तम्बाकू के प्रयोग/उपयोग पर रोक सहित तम्बाकू और तम्बाकू से संबंधित उत्पादों के प्रयोग को हतोत्साहित करने के लिए एक व्यापक विधान लाने का प्रस्ताव है। इसी बीच, सरकार ने सिगरेट के पैकेटों पर यह सांविधिक चेतावनी कि "धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारण है" लिखवाने के अतिरिक्त तम्बाकू के कुप्रभावों तथा सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध के बारे में जागरूकता पैदा करने जैसे अनेक उपाय किए हैं।

Provident Fund of Employees in Sick PSUS

177. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have proposed to enforce rules regarding deposit of Provident Fund contribution of employees in sick PSUs;

(b) whether Government would now provide funds for regularization of arrears of Provident Fund; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) In the matter of deposit of Provident Fund of employees the EPF & MP Act, 1952 makes no discrimination between sick PSUs and other defaulting establishments. However, coercive recovery action is not taken against the sick industries registered with the BIFR.

(b) No., Sir

(c) Does not arise.

Demand and Supply of Edible Oils

178. SHRI O.P. KOHLI: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether the gap between the demand and supply of edible oils is increasing unabatedly;

((b) if so, the reasons for the Government not being able to check this gap; and

(c) what has been the effect of this gap on the prices?

THE MINISTER OF FOOD AND THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI DEVENDRA PRASAD YADAV): (a) As a result of substantial increase in the production of